न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर
धापू कंवर V/S TDR धोद
मु०नं० - 04/2020

03/12/20 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 12/01/21 को पेश हो

12/01/21 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 19/02/21 को पेश हो

19/02/21

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती का है। प्रकरण में प्रार्थीया ने निवेदन किया कि ग्राम खाखोली तहसील धोद के खसरा सं. 35 रकबा 1.5800 हेक्टेयर, खसरा सं. 36 रकबा 1.7200 हेक्टेयर, खसरा सं. 37 रकबा 1.2000 हेक्टेयर, खसरा सं. 62 रकबा 0.2900 हेक्टेयर, खसरा सं. 63 रकबा 0.5400 हेक्टेयर, खसरा सं. 44/446 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 213 रकबा 0.3700 हेक्टेयर, खसरा सं. 523/44 रकबा 2.5800 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम मालसिंह पुत्र सोहनसिंह अंकित है। जबकि प्रार्थीया के पति का सही नाम मानसिंह पुत्र सोहनसिंह है। प्रार्थीया के पति के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थीया के पति का नाम मानसिंह पुत्र सोहनसिंह अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के पति का नाम मालसिंह पुत्र सोहनसिंह के स्थान पर मानसिंह पुत्र सोहनसिंह दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "प्रार्थीया के पति का नाम मालसिंह के स्थान पर मानसिंह शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खाखोली तहसील धोद के खसरा सं. 35 रकबा 1.5800 हेक्टेयर, खसरा सं. 36 रकबा 1.7200 हेक्टेयर, खसरा सं. 37 रकबा 1.2000 हेक्टेयर, खसरा सं. 62 रकबा 0.2900 हेक्टेयर, खसरा सं. 63 रकबा 0.5400 हेक्टेयर, खसरा सं. 44/446 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 213 रकबा 0.3700 हेक्टेयर, खसरा सं. 523/44 रकबा 2.5800 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम मालसिंह पुत्र सोहनसिंह के स्थान पर मानसिंह पुत्र सोहनसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.26 16:17:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु० सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु० सीकर